संख्या : 14/2015/200/छप्पन-15-43/08

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 24 मार्च, 2015

विषय :राजकीय वायुयान सुपर किंग एयर वी0टी0-यू0पी0आर0 के इंजन मॉडल पीटी-6ए-42, सीरियल नम्बर पी0सी0ई0-पी0जे0 0975 के हॉट सेक्शन इन्सपेक्शन (एच0एस0आई0) एवं रिपेयर कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1124/ना0उ0नि0/इंजी/बी-2/14(पी), दिनांक 05-02-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय वायुयान सुपर किंग एयर वी0टी0-यू0पी0आर0 के इंजन मॉडल पीटी-6ए-42, सीरियल नम्बर पी0सी0ई0-पी0जे0 0975 के हॉट सेक्शन इन्सपेक्शन (एच0एस0आई0) एवं रिपेयर हेतु निर्माता कम्पनी मै0 प्राट एण्ड व्हिटनी कनाडा, सिंगापुर के फैक्ट्री फैसिलिटी मैसर्स P&WC Montreal, P&WC St-Hubert Service Centre (Plan-5) 7007 De La Savane St. Hubert (Quebec) Canada J3Y 3x7 को निर्यात किया गया था। कम्पनी द्वारा इंजन के हॉट सेक्शन इन्सपेक्शन एवं रिपेयर हेतु स्टीमेट संख्या- 96332301 दिनांक 8-1-2015 के आधार पर प्रोफार्मा इन्वाइस संख्या- 96332301 दिनांक 21-1-2015 द्वारा यू0एस0 डालर 59971-19 मात्र का अग्रिम भुगतान वायर ट्रांसफर के माध्यम से किये जाने का अनुरोध किया गया है। तदनुसार यू0एस0 डालर 59971-19, भारतीय मुद्रा में रूपये 65-00 प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से बैंक चार्जेज सहित रूपये 38,98,127/- (रूपये अड़तीस लाख अन्ठानबे हजार एक सौ सत्ताईस मात्र) के व्यय एवं अग्रिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान अग्रिम रूप से कम्पनी को वायर ट्रांसफर के द्वारा किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25-10-1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10-6-2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा और धनराशि का समायोजन प्रत्येक दशा में दिनांक 31-3-2015 तक कर लिया जाय।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को तत्कालीन विनिमय दर से करने के पश्चात अधिशेष धनराशि मार्जिन मनी एकाउण्ट में जमा की जायेगी। आहरण/समायोजन में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या क्षति होती है तो उसके लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, लखनऊ पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन लेखा शीर्षक 2070-अन्य-प्रशासनिक सेवाएं- आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय की मानक मद-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के अशा0 संख्या- एफ0ए0-1/66/दस- 2015, दिनांक 04 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( एस0के0 रघुवंशी )
सचिव।

संख्या- 14/2015/200(1)/छप्पन-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उ0प्र0 छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226 024
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 / वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।